

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 94/2018

दायर दिनांक 28.03.2018

वादी	प्रतिवादीगण
1. रामप्रसाद पुत्र शैतानाराम जाति बावरी निवासी सिंगरावटकंला तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. सुगनी देवी पत्नी स्व0 रामकुंवार 2. नन्दलाल पुत्र स्व0 रामकुंवार 3. राजेश पुत्र स्व0 रामकुंवार 4. चान्द पुत्री स्व0 रामकुंवार 5. भीवाराम पुत्र स्व0 शिवचन्द 6. अर्जुनराम पुत्र स्व0 शिवचन्द 7. लिखमाराम पुत्र स्व0 शिवचन्द 8. पर्वतराम पुत्र स्व0 शिवचन्द 9. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 शैतानाराम 10. बिरजलाल पुत्र धन्नाराम 11. सीताराम पुत्र भागुराम 12. दशरथराम पुत्र रामअवतार 13. ग्यारसी बेवा रामअवतार 14. शिवराम पुत्र मंगाराम 15. रूघनाथ पुत्र रतनाराम 16. बनवारीलाल पुत्र मदनलाल समस्त जाति बावरी निवासीगण सिंगरावटकंला तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 17. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थित:-

1. पक्षकारान् उपस्थित।

--: निर्णय :-

दिनांक 05.06.2018

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, ग्राम
सिंगरावटकंला के खसरा सं0 331 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा तथा खसरा
संख्या 399 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा कुल खसरा 02 कुल रकबा 30

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

बीघा 08 बिस्वा बारानी द्वितीय अवस्थित है जिसके वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 खातेदारी काबिज काशतकार है।

स्व0 शैतानाराम की मृत्यु 32 वर्ष पूर्व हो चुकी है जिनके वारिसान वादी तथा प्रतिवादी सं0 01 ता 09 काबिज काशतकार है। स्व0 शैतानाराम के बाद वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपनी भूमि का बंटवारा करने हेतु अन्य सह खातेदारी को निवेदन किया परन्तु किसी ने भी बंटवारा करने की सहमति नहीं दी। उक्त खसरा की भूमि में सभी पक्षकारान का मौखिक बंटवारा हुआ था। स्व0 बक्साराम के बाद उक्त दोनों खसरान की भूमि शुरू से ही 1/5 भाग रही जिसमें स्व0 शैतानाराम का 1/5 भाग विरासत म्यूटेशन में दर्ज है तथा इसी अनुसार स्व0 भगवानाराम के वारिसान में रामदीन, रामकरण, रामनरेश तथा शंकर व रामलाल ने अपना हिस्सा स्व0 शैतानाराम के वारिस रामकुंवार, रामप्रसाद, शिवचन्द व औमप्रकाश को अपने हिस्से की भूमि दिनांक 11.01.1988 को विक्रय कर दिया जिसका नामान्तरकरण दर्ज हो चुका है। उक्त खरीद शुदा भूमि स्व0 भगवानाराम के वारिसान ने स्व0 रामलाल को छोडकर रामदीन, रामकरण, रामनरेश व शंकर ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा बैचाण कर दिया था। स्व0 रामलाल ने भी अपना जीवनकाल में ही दिनांक 18.01.1992 को तथा दिनांक 18.12.1991 को अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी सं0 15 रुघनाथ की माता के हिस्से में कर दिया जिस पर वर्तमान में प्रतिवादी सं0 15 रुघनाथ काबिज है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 16 के पिता मदनाराम के नाम भी स्व0 रामलाल ने अपना हिस्सा की भूमि दिनांक 18.01.1992 को बैचाण कर देने से स्व0 रामलाल का सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी सं0 15 व 16 के कब्जे काशत में है।

वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा निम्न प्रकार है:-

वादी रामप्रसाद के हिस्से व बंट की भूमि:- वाके सरहद सिंगरावटकंला के खसरा सं0 399 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा में से 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार।

प्रतिवादी सं0 01 ता 04 (सुगनीदेवी नन्दलाल, राजेश व चान्द) बंट की भूमि:- वाके सरहद सिंगरावटकंला के खसरा सं0 399 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा में से 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार।


सहायक कलेक्टर
डीडधाना (नागौर)

प्रतिवादी सं० 05 तार 08 (भीवाराम, अर्जुनराम, लिखमाराम व पर्वतराम) के बंट व हिस्से की भूमि:- वाके सरहद सिंगरावटकंला के खसरा सं० 399 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा में से 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार।

प्रतिवादी सं० 09 ओमप्रकाश के बंट व हिस्से की भूमि :- वाके सरहद सिंगरावटकंला के खसरा सं० 399 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा में से 02 बीघा 08 बिस्वा भूमि तथा खसरा सं० 331 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा में से 07 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार।

प्रतिवादी सं० 10 बृजलाल के बंट व हिस्से की भूमि :- वाके सरहद सिंगरावटकंला के खसरा सं० 399 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा में से 06 बीघा 01 बिस्वा उत्तरी तरफ की भूमि नजरी नक्शा अनुसार।

प्रतिवादी सं० 15 व 16 रूघनाथ व बनवारीलाल के बंट व हिस्से की भूमि:- वाके सरहद सिंगरावटकंला के खसरा सं० 399 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा में से 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि पश्चिमी नजरी नक्शा अनुसार।

प्रतिवादी सं० 11, 12 व 13 सीताराम, ग्यारसी, दशरथ के बंट व हिस्से की भूमि:- खसरा सं० 331 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा में से 06 बीघा 01 बिस्वा दक्षिणी पूर्वी हिस्सा नजरी नक्शा अनुसार।


प्रतिवादी सं० 14 शिवराम के बंट व हिस्से की भूमि :- खसरा सं० 331 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा में से 06 बीघा 01 बिस्वा भूमि दक्षिणी पश्चिमी भूमि नजरी नक्शा अनुसार।

प्रार्थना वादी है कि हम पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जावें:-

वादी रामप्रसाद के हिस्से व बंट की भूमि:- वाके सरहद सिंगरावटकंला के खसरा सं० 399 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा में से 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार।

प्रतिवादी सं० 01 ता 04 (सुगनीदेवी नन्दलाल, राजेश व चान्द) बंट की भूमि:- वाके सरहद सिंगरावटकंला के खसरा सं० 399 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा में से 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार।

प्रतिवादी सं० 05 तार 08 (भीवाराम, अर्जुनराम, लिखमाराम व पर्वतराम) के बंट व हिस्से की भूमि:- वाके सरहद सिंगरावटकंला के


महायक कलेक्टर
बीकाना (नागौर)

खसरा सं० 399 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा में से 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार।

प्रतिवादी सं० 09 ओगप्रकाश के बंट व हिस्से की भूमि :-
वाके सरहद सिंगरावटकला के खसरा सं० 399 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा में से 02 बीघा 08 बिस्वा भूमि तथा खसरा सं० 331 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा में से 07 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार।

प्रतिवादी सं० 10 बूजलाल के बंट व हिस्से की भूमि :-
वाके सरहद सिंगरावटकला के खसरा सं० 399 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा में से 06 बीघा 01 बिस्वा उत्तरी तरफ की भूमि नजरी नक्शा अनुसार।

प्रतिवादी सं० 15 व 16 रूघनाथ व बनवारीलाल के बंट व हिस्से की भूमि:- वाके सरहद सिंगरावटकला के खसरा सं० 399 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा में से 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि पश्चिमी नजरी नक्शा अनुसार।

प्रतिवादी सं० 11, 12 व 13 सीताराम, ग्यारसी, दशरथ के बंट व हिस्से की भूमि:- खसरा सं० 331 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा में से 06 बीघा 01 बिस्वा दक्षिणी पूर्वी हिस्सा नजरी नक्शा अनुसार।

प्रतिवादी सं० 14 शिवराम के बंट व हिस्से की भूमि :-
खसरा सं० 331 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा में से 06 बीघा 01 बिस्वा भूमि दक्षिणी पश्चिमी भूमि नजरी नक्शा अनुसार।

वाद न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प-सिंगरावट कला में पत्रावली पेश हुआ। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित है। पक्षकारान् को सुना गया। पक्षकारान् दावानुसार वाद डिक्री किया जाने में सहमत हैं।

मजमें आम में वाद के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। प्राप्त जानकारी के परिप्रेक्ष्य में वाद वादी स्वीकार किया जाकर, डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पक्षकारान् की इस्तदुआ पर मनन् किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया गया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। मजमें आम में प्राप्त हुई जानकारी के मुताबिक, वाद वादी स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना, सही होना पाया गया।

सहजद कलेक्टर
डीडवाना (नगौर)

राजस्व-वाद, संख्या 94/2018
दायर दि-नींक 28.03.2018, निर्णय दि-नींक 09.06.2018
रामप्रसाद बनाम सुगनीदेवी, वगैरा।

मजमें आम में प्राप्त जानकारी के मुताबिक व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व साक्ष्यों के मददे नज़र वाद वादीगण रवीकार किया जाकर, डिक्री सादिर किया जाना न्यायालय के मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, वाद विवेचन, वाद वादीगण डिक्री सादिर किया जाता है।

--: आदेश :-

हस्य दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद सिंगरावटकंला के खसरा संख्या 399 रकबा 17 बीघा 19 बिसवा तथा खसरा संख्या 331 रकबा 12 बीघा 09 बिसवा का निम्नानुसार बंटवारा कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है:-

वादी रामप्रसाद के हिस्से व बंट की भूमि:- वाके सरहद सिंगरावटकंला के खसरा सं० 399 रकबा 17 बीघा 19 बिसवा में से 02 बीघा 15 बिसवा भूमि नजरी नकशा अनुसार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी सं० 01 ता 04 (सुगनीदेवी नन्दलाल, राजेश व चान्द) बंट की भूमि:- वाके सरहद सिंगरावटकंला के खसरा सं० 399 रकबा 17 बीघा 19 बिसवा में से 02 बीघा 15 बिसवा भूमि नजरी नकशा अनुसार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी सं० 05 तार 08 (भीवाराम, अर्जुनराम, लिखमाराम व पर्वतराम) के बंट व हिस्से की भूमि:- वाके सरहद सिंगरावटकंला के खसरा सं० 399 रकबा 17 बीघा 19 बिसवा में से 02 बीघा 15 बिसवा भूमि नजरी नकशा अनुसार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी सं० 09 ओमप्रकाश के बंट व हिस्से की भूमि :- वाके सरहद सिंगरावटकंला के खसरा सं० 399 रकबा 17 बीघा 19 बिसवा में से 02 बीघा 08 बिसवा भूमि तथा खसरा सं० 331 रकबा 12 बीघा 09 बिसवा में से 07 बिसवा भूमि नजरी नकशा अनुसार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी सं० 10 बृजलाल के बंट व हिस्से की भूमि :- वाके सरहद सिंगरावटकंला के खसरा सं० 399 रकबा 17 बीघा 19 बिसवा में से 06 बीघा 01 बिसवा उत्तरी तरफ की भूमि नजरी नकशा अनुसार।


सहायक कलेक्टर
डीडधाना (नागौर)

प्रतिवादी सं० 15 व 16 रुघनाथ व बनवारीलाल के बंट व हिस्से की भूमि:- वाके सरहद सिंगरावटकला के खसरा सं० 399 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा में से 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि पश्चिमी नजरी नक्शा अनुसार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी सं० 11, 12 व 13 सीताराम, ग्यारसी, दशरथ के बंट व हिस्से की भूमि:- खसरा सं० 331 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा में से 06 बीघा 01 बिस्वा दक्षिणी पूर्वी हिस्सा नजरी नक्शा अनुसार घोषित किया जाता है।


प्रतिवादी सं० 14 शिवराम के बंट व हिस्से की भूमि :- खसरा सं० 331 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा में से 06 बीघा 01 बिस्वा भूमि दक्षिणी पश्चिमी भूमि नजरी नक्शा अनुसार घोषित किया जाता है।

उक्त दोनों खसरा नम्बरान में वादी के कब्जे काश्त व बट की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखल अन्दाजी हस्तक्षेप नहीं करें। उक्त दोनों खसरा में पक्षकारान की सहखातेदारी में मोहनी बेवा शैतानाराम व राधा बेवा धन्नाराम तथा स्व० रामलाल पुत्र भुवानाराम का स्वर्गवास हो जाने से इनका नाम उक्त दोनों खसरा नम्बरान से हटाया जाता है। नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री जारी हो।


(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक क्लर्क
R.A.S. क्लर्क
डी.डी.ओ. (कलकत्ता)
डी.डी.ओ.
डी.डी.ओ.

कोर्ट कैम्प-सिंगरावट कलाँ

निर्णय, आज दिनांक 09.06.2018 को सरे कोर्ट कैम्प सिंगरावट कलाँ में सुनाया गया।


(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक क्लर्क
R.A.S. क्लर्क
डी.डी.ओ. (कलकत्ता)
डी.डी.ओ.

कोर्ट कैम्प-सिंगरावट कलाँ

डिक्री बमुकद्दमें इत्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना
-:: न्याय आपके द्वार, 2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::-
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 94/2018

दायर दिनांक 28.03.2018

वादी	प्रतिवादीगण
1. रामप्रसाद पुत्र शैतानाराम जाति बावरी निवासी सिंगरावटकंला तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. सुगनी देवी पत्नी स्व० रामकुंवार 2. नन्दलाल पुत्र स्व० रामकुंवार 3. राजेश पुत्र स्व० रामकुंवार 4. चान्द पुत्री स्व० रामकुंवार 5. भीवाराम पुत्र स्व० शिवचन्द 6. अर्जुनराम पुत्र स्व० शिवचन्द 7. लिखमाराम पुत्र स्व० शिवचन्द 8. पर्वतराम पुत्र स्व० शिवचन्द 9. ओमप्रकाश पुत्र स्व० शैतानाराम 10. विरजलाल पुत्र धन्नाराम 11. सीताराम पुत्र भागुराम 12. दशरथराम पुत्र रामअवतार 13. ग्यारसी वेवा रामअवतार 14. शिवराम पुत्र मंगाराम 15. रुघनाथ पुत्र रतनाराम 16. वनवारीलाल पुत्र मदनलाल समस्त जाति बावरी निवासीगण सिंगरावटकंला तहसील डीडवाना जिला नागौर राज० 17. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।
	बनाम

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 09.06.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिव मुद्दई उपस्थित पक्षकारान् ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, वाके सरहद सिंगरावटकंला के खसरा संख्या 399 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा तथा खसरा संख्या 331 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा का निम्नानुसार बंटवारा कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं:-

वादी रामप्रसाद के हिस्से व बंट की भूमि:- वाके सरहद सिंगरावटकंला के खसरा सं० 399 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा में सं 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

प्रतिवादी सं० 01 ता 04 (सुगनीदेवी नन्दलाल, राजेश व चान्द) बंट की भूमि:- वाके सरहद सिंगरावटकंला के खसरा सं० 399 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा में से 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी सं० 05 तार 08 (भीवाराम, अर्जुनराम, लिखमाराम व पर्वतराम) के बंट व हिस्से की भूमि:- वाके सरहद सिंगरावटकंला के खसरा सं० 399 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा में से 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी सं० 09 ओमप्रकाश के बंट व हिस्से की भूमि :- वाके सरहद सिंगरावटकंला के खसरा सं० 399 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा में से 02 बीघा 08 बिस्वा भूमि तथा खसरा सं० 331 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा में से 07 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी सं० 10 बृजलाल के बंट व हिस्से की भूमि :- वाके सरहद सिंगरावटकंला के खसरा सं० 399 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा में से 06 बीघा 01 बिस्वा उत्तरी तरफ की भूमि नजरी नक्शा अनुसार।

प्रतिवादी सं० 15 व 16 रुघनाथ व बनवारीलाल के बंट व हिस्से की भूमि:- वाके सरहद सिंगरावटकंला के खसरा सं० 399 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा में से 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि पश्चिमी नजरी नक्शा अनुसार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी सं० 11, 12 व 13 सीताराम, ग्यारसी, दशरथ के बंट व हिस्से की भूमि:- खसरा सं० 331 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा में से 06 बीघा 01 बिस्वा दक्षिणी पूर्वी हिस्सा नजरी नक्शा अनुसार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी सं० 14 शिवराम के बंट व हिस्से की भूमि :- खसरा सं० 331 रकबा 12 बीघा 09 बिस्वा में से 06 बीघा 01 बिस्वा भूमि दक्षिणी पश्चिमी भूमि नजरी नक्शा अनुसार घोषित किया जाता है।

उक्त दोनों खसरा नम्बरान में वादी के कब्जे काश्त व बंट की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखल अन्दाजी हस्तक्षेप नहीं करें। उक्त दोनों खसरो में पक्षकारान की सहखातेदारी में मोहनी बेवा शैतानाराम व राधा बेवा धन्नाराम तथा स्व० रामलाल पुत्र भुवानाराम का स्वर्गवास हो जाने से इनका नाम उक्त दोनों खसरा नम्बरान से हटाया जाता है। नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री जारी हो।


सहायक कलेक्टर
डोडवाना (नागौर)

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को
 अदा करें।

बसवा मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 09.06.2018
 को सर इजलास में जारी की गयी।

महानताना वकील
 डीडवाना
 कोर्ट कैम्प-सिंगरवटकेला

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुत्फर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुत्फर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये
 दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

महानताना वकील
 डीडवाना
 कोर्ट कैम्प-सिंगरवटकेला

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

क्रमांक:-94-2018/रीडर/2018/ 554

दिनांक 09.06.2018

प्रेषित:-


तहसीलदार
डीडवाना।

विषय: -निर्णय की पालना करने वावत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188, R.T.Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. रामप्रसाद पुत्र शैतानाराम जाति बावरी निवासी सिंगरावटकंला तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।		1. सुगनी देवी पत्नी स्व० रामकुवार जाति बावरी निवासीगण सिंगरावटकंला तहसील डीडवाना जिला नागौर राज० वगैराह

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट भिजवायें, वशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
कोर्ट कैम्प-सिंगरावटकंला